



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223785
CG-DL-E-19122020-223785

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 360]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

सं. 33/2015-2020

विषय : वर्ष 2020-21 के लिए प्रशुल्क दर कोटे के तहत यूएसए को चीनी के तरजीही निर्यात का आवंटन।

फा. सं. 01/91/180/879/एम-08/निर्यात प्रकोष्ठ/(खण्ड VIII)/ई-20749.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2021 (01 अक्टूबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक) के लिए यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के तहत निर्यात के लिए 8424 मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य (एमटीआरवी) खांड, परिष्कृत एवं विनिष्कृत चीनी और चीनी से निर्मित उत्पादों का आवंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं. 3/2015-20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन "मुक्त" है।

3. यूएसए को चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण-पत्र, यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन शर्तें यदि कोई हों, का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

4. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 3/2015-2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथाअधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

5. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

टीआरक्यू के तहत यूएसए को 30.09.2021 तक निर्यात किए जाने के लिए 8424 एमटीआरवी (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य) खांड की मात्रा अधिसूचित की जाती है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th December, 2020

No. 33 /2015-2020

Subject: Allocation of preferential export of sugar to USA under TRQ for the year 2020-21.

F. No. 01/91/180/879/AM08/EC (Vol.VIII) /E-20749.—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates **8424 Metric Ton Raw Value (MTRV)** of Raw Cane Sugar, Refined and Specialty Sugar and Sugar-Containing Products for export under Tariff Rate Quota (TRQ) to USA for the US fiscal year 2021 (October 1, 2020 to September 30, 2021).

2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to USA under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.

3. Certificate of Origin, if required, for preferential export of sugar to USA, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to USA would continue to be followed.

4. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 read with Notification No. 20 dated 07.09.2015 would be followed.

5. Effect of this Public Notice:

The quantity of raw sugar 8424 MTRV (Eight Thousand Four Hundred and Twenty Four Metric Ton Raw Value) to be exported to USA under TRQ upto 30.09.2021 is notified.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.